रामनिवास V/S रामेश्वर 43/15

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषियल जज
4.8.20	वकुलाम उभय वकुलाम उभय पक्षकरान को सुना गया। बटवारा दाखिल प्रकरण में सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक: 11/8/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
11.8.20	वकुलाम उभय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act 1955 सपठित आदेश 39 नियम-1,2 सीपीसी व धारा 151 CPC खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली मूल अपने नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ के नत्थी है। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण –

1. रामनिवास पुत्र स्व. हनुमानराम
2. शैतानराम पुत्र स्व. भंवरलाल जातियान–अहीर निवासीगण– अहिरपुरा, तहसील–जायल

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. रामश्वेर पुत्र स्व. भंवरलाल
2. सीताराम पुत्र स्व. भंवरलाल
3. श्रीलाल पुत्र स्व. भंवरलाल
4. बलदेव पुत्र स्व. भंवरलाल
5. पदमा पुत्री स्व. भंवरलाल
6. धनीदेवी पुत्री स्व. भंवरलाल
7. राधा पत्नि स्व. भंवरलाल
8. रामदेव पुत्र हनुमानराम
9. रामजीवण पुत्र स्व. हनुमानराम
10. रामकुवांर पुत्र स्व हनुमानराम
11. रामकिशोर पुत्र स्व. हनुमानराम
12. पेमीदेवी पुत्री स्व. कालूराम
13. राधा पत्नि स्व. हनुमानराम
14. गुलाबी देवी पत्नि स्व. तारूराम
15. केशर पत्नि स्व. झुथाराम
16. रूकमा पुत्री स्व. झुथाराम
17. मंजू पुत्री स्व. झुथाराम
18. रूपादेवी पत्नि स्व. गिरधारीराम
19. नत्थुराम पुत्र स्व. गिरधारीराम
20. मूलीदेवी पुत्री स्व. गिरधारीराम
21. किशना पुत्री स्व. गिरधारीराम
22. जिमना पुत्री स्व. गिरधारीराम
23. हुकमाराम पुत्र स्व. भैराराम
    जातियान–अहीर निवासीगण अहिरपुरा तहसील–जायल जिला–नागौर।
24. तहसीलदार जायल
25. सांवताराम दत्तक पुत्र चौखाराम जाति अहीर निवासी अहीरपुरा तहसील जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

11/8/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

मुकदमा नं. 43/2015

दिनांक : 11/8/2020

प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2020 अति आवश्यक सुनवाई हेतु

विरूद्ध प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

1. अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़, श्री शिवकुमार पाराशर प्रार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थी सं. 25 की ओर से।

— : : आदेश : :—

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने दिनांक 29.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल प्रार्थना पत्र संख्या 43/2015 उपरोक्त उनवानित प्रकरण में अति आवश्यक सुनवाई किये जाने के संबंध में पेश किया जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दिनांक 29.07.2020 को तारीख पेशी पर ली गई। चूंकि विवादग्रस्त प्रकरण में **Urgent Hearing** का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है, इसलिए वकील अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली बहस तारीख पेशी 04.08.2020 हेतु नियत की गई।

2. पत्रावली नियत तारीख पेशी दिनांक 04.08.2020 को वास्ते बहस पेश हुई। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 24 के सम्मन तलबाना पेश किये। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा केवल अप्रार्थी संख्या 25 सांवताराम जो जो जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा स्व. चौखाराम का दत्तक पुत्र है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 मुतदाविया खेताय ग्राम अहीरपुरा की भूमि सहखातेदार दर्ज है, जबकि ग्राम अहीरपुरा तहसील जायल के खसरा नं 13/11, 147/9 स्व. चौखाराम पुत्र भैराराम कौम अहीर तहसील जायल का पूर्व में बंटवारा हो चुका है तथा अप्रर्थी संख्या 25 सांवताराम का दत्तक पुत्र है जिनके फौत होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा काश्त एवं हिस्सा अप्रार्थी संख्या 25 का ही रहा है।

3. वकील प्रार्थी संख्या 1 से 4 ने दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 25 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये अपनी दलीलें पेश की तथा निवेदन किया कि पत्रावली में अभी पक्षकारान् की तलबी होना शेष है जिनको सुना जाना अपेक्षित है तलबी हेतु सम्मन तलबाना प्रस्तुत कर दिये गये। चूंकि मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी तथा बडेर की है उक्त खेताय की भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 25 के हिस्से की भूमि में भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 24 का हिस्सा निहित है, जिसके लिए वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें विवाद्यक बिन्दू तय किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड के घोषणा खातेदारी पृथक–पृथक की जाने की इस्तदुआ है, अतः जब तक मूल वाद का विधिनुसार अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय से

सहायक कलक्टर जायल (एस.डी.ओ.)

11/8/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

विवाद्यक बिन्दू तय किये जाने तथा बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड के घोषणा खातेदारी पृथक–पृथक की जाने की इस्तदुआ है, अतः जब तक मूल वाद का विधिनुसार अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय से नहीं हो जाता है तब तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 25 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के विवादग्रस्त खेत खसरा नं. ग्राम अहीरपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 13/11 रकबा 14.18 बीघा, खसरा नं. 147/9 रकबा 14 बीघा में वादीगण के 1/6 की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी नहीं करने, बैचान हस्तान्तरण नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति रखे जाने जाने बाबत् पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

4. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा में मौजा अहीरपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 13/11, 147/9 की भूमि के संबंध राजस्व वाद संख्या 78/2015 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का विचाराधीन है, प्रकरण हाजा में विवादग्रस्त खसरान की जमाबंदी सम्वत् 2054–2057 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मुतदाविया खेताय की भूमि का पक्षकारान् के मध्य में बंट्वारा होना साबित है तथा उसी बंटवारे के अनुसार अप्रार्थी संख्या 25 के पिता स्व. चौखाराम के नाम खातेदारी में अपडेशन होता रहा है, जो कि नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 26/25 से प्रमाणित है। स्व. चौखाराम के पश्चात् उनके हक हिस्से की भूमि का जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गौद पुत्र (दत्तक पुत्र) सांवताराम ही एक मात्र उतराधिकारी है तथा खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को नही होकर केवल अप्रार्थी संख्या 25 को होना प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी0पी0सी0 का काबिले खारिज पाया जाता है।

– : : आदेश : –

यत् हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को ग्राम अहीरपुरा तहसील जायल के खसरा नं. 13/11 एवं 147/9 के संबंध में जारी की गई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी0पी0सी0 में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 25 अपास्त की जाती है। प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 11/8/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/8/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. जायल

Scanned with CamScanner